अनुदान संख्या 18 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 18–DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*		*54,00*	*42,32*	*–11,68*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	26115,00,00	32530,73,00	32034,86,43	–495,86,57
पूरक	Supplementary	6415,73,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				445,77,42
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	376,20,00	379,12,00	318,74,44	–60,37,56
पूरक	Supplementary	2,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				73,59,55

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(11.68 लाख रु.)* अगस्त, 2007 में प्राप्त किए गए *54.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 22 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.11.68 lakhs*) constituted 22 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.54.00 lakhs* obtained in August, 2007.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3456'' सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
पू.	*S.*		*54.00*	*42.32*	*–11.68*

(I) ''अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम'' के अंतर्गत पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *54.00 लाख* रु. की निधियां उपलब्ध कराईं गईं थीं तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण *11.68 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under "Other Expenditure – Scheme relating to Strengthening Public Distribution System" – funds of *Rs.54.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.11.68 lakhs* – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (49586.57 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 641573.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 8 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.49586.57 lakhs) constituted 8 percent of the supplementary grants of Rs.641573.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2363.00	1836.63	1786.21	–50.42
पु.	R.	–526.37			
मुख्य शीर्ष ''2408'' खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2605494.00	3204701.30	3199745.45	–4955.85
पू.	S.	641573.00			
पु.	R.	–42365.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	319.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–319.00			
मुख्य शीर्ष "3456'' सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	1572.00	1788.30	1785.61	–2.69
पु.	R.	216.30			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1715.00	169.35	169.16	–0.19
पु.	R.	–1545.65			

(I) 616.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 527.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408'' - "खाद्य - अन्य व्यय - चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्कीम, 2007'' - 208.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान बैंकों द्वारा ब्याज आर्थिक सहायता संबंधी उपयोग प्रमाण-पत्रा सहित दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' -

(क) "भंडारण एवं भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' - 150.00 लाख रु. थे; और

(I) Provision of Rs.616.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.527.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" - "Food - Other Expenditure - Scheme for extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007" - supplementary provision of Rs.208.00 lakhs - due to non-submission of claims with utilisation certificate towards interest subvention by banks.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Storage & Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food storage godowns in N E region by State Governments" – Rs.150.00 lakhs; and

(ख) ''सिविल पूर्ति - अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम'' - 169.00 लाख रु. थे।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''चीनी के सुरक्षित भंडार के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता'' - 3500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 33500.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो नए सुरक्षित आर्थिक सहायता नियमों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और सुरक्षित आर्थिक सहायता के दावों को अधूरे रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण 15845.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमत दावों की अदायगी'' - 3000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 12000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15000.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो चीनी मिलों द्वारा कागजात/उत्तर प्रस्तुत न किए जाने और समुद्र भाड़ा, विपणन और लदाई-उतराई प्रभार संबंधी करार को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण 6967.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज आर्थिक सहायता'' - 15886.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से दावों के प्राप्त न होने के कारण 2032.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग'' के अंतर्गत 572.64 लाख रु. की बचत (2340.01 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(b) "Civil Supplies – Other Expenditure - Scheme relating to strengthening Public Distribution System" – Rs.169.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2408" – "Food – Other Expenditure" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar" – the original provision of Rs.3500.00 lakhs was augmented to Rs.33500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15845.17 lakhs – due to delay in finalisation of new buffer subsidy rules and incomplete submission of buffer subsidy claims.

(B) "Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payments of other permissible claims" - the original provision of Rs.3000.00 lakhs was augmented to Rs.15000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.12000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6967.53 lakhs – due to non-furnishing of papers /replies by sugar mills and delay in finalisation of agreement on ocean freight, marketing and handling charges.

(C) "Interest Subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD" – funds of Rs.15886.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2032.24 lakhs – due to non- receipt of claims from National Bank for Agriculture and Rural Development.

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Food and Public Distribution"– saving of Rs.572.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2340.01 lakhs) was due to non-

तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटरों को कम संख्या में काम पर लगाए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2408'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''खाद्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(i) ''अन्य कार्यालय'' - 781.10 लाख रु. की बचत (827.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों के पूरा न होने की वजह से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लंबित बिलों का समाशोधन न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय'' - 108.52 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय चीनी संस्थान'' - 310.40 लाख रु. की बचत (1105.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, कर्मचारियों की कमी की वजह से प्रशिक्षण शिविरों की कम संख्या होने, किसी विद्वान को नियुक्त न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अनुसंधान और मूल्यांकन - परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान'' - 185.30 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का कम उपयोग होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने की वजह से अनुसंधान विकास परियोजना की असंतोषजनक प्रगति होने के कारण हुई।

(घ) ''खाद्य आर्थिक सहायता'' -

(i) ''1974-75 के लिए लेवी चीनी का कारखाना मूल्य पुनर्निर्धारित किए जाने के कारण दावों के

filling up of vacant posts, engagement of lesser number of data entry operator and economy measures.

(IV) Under Major Head "2408" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Food" -

(a) "Direction and Administration" –

(i) "Other Offices" - saving of Rs.781.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.827.00 lakhs) was due to non-clearance of pending bills of Industrial Financial Corporation of India and National Cooperative Development Corporation owing to incomplete claims.

(ii) "Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats" - saving of Rs.108.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Training – National Sugar Institute" - saving of Rs.310.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1105.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less number of training camps owing to shortage of staff, non-engagement of any scholars and economy measures.

(c) "Research and Evaluation - Consultancy, Training and Research" - saving of Rs.185.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to unsatisfactory progress of Research Development Project owing to under utilisation of funds and reduction of provision at revised estimates stage.

(d) "Food Subsidies" -

(i) "Subsidies payable for settlement of claims on account of Re-fixation of Ex-factory

निपटान के लिए देय आर्थिक सहायता'' - 781.05 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित चीनी मिलों द्वारा सुसंगत दावों को उनके समर्थित कागज-पत्रों और उपयुक्त उत्तरों सहित प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "लेवी चीनी, चीनी के आयात इत्यादि के कारण भारतीय खाद्य निगम व अन्यों को देय चीनी संबंधी आर्थिक सहायता'' - 19500.00 लाख रु. की बचत (26200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता में कमी किए जाने और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधूरी सूचना दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय - चीनी उद्योगों के विकास के लिए सहायता अनुदान'' - 272.31 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षित दस्तावेजों और प्रतिभूतियों को समय पर प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "भंडारण और भांडागार'' -

(क) "प्रशिक्षण - अनाज बचाओ अभियान'' - 250.54 लाख रु. की बचत (771.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, अनाज बचाओ अभियान के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने, वास्तविक लक्ष्यों में कमी आने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान और मूल्यांकन - भारतीय अनाज प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान'' - 110.89 लाख रु. की बचत (358.49 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, आरआरटी की कम आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - अन्य अनुदान - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम'' के अंतर्गत 1545.84 लाख रु. की बचत (1715.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति से

Price Levy Sugar for 1974-75" - saving of Rs.781.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-furnishing of relevant claims with supporting papers and suitable replies by the concerned sugar mills.

(ii) "Sugar subsidy payable to FCI and others on account of levy sugar, import of Sugar etc." - saving of Rs.19500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26200.00 lakhs) was due to reduction of subsidy by the Ministry of Finance and incomplete information from Food Corporation of India.

(e) "Other Expenditure - Grants-in-aid for Development of Sugar Industry" - saving of Rs.272.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-submission of required documents and securities in time.

(B) "Storage and Warehousing" -

(a) "Training- Save Grain Campaign" - saving of Rs.250.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.771.25 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, closure of Save Grain Campaign field offices, reduction in Physical Targets and economy measures.

(b) "Research and Evaluation – Indian Grain Management and Research Institute" - saving of Rs.110.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.358.49 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less requirement of RRT and economy measures.

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Other Grants – Scheme relating to Strengthening Public Distribution Scheme" – saving of Rs.1545.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1715.00 lakhs) was due to non-receipt of clearance of scheme from Expenditure Finance Committee.

स्कीम का समाशोधन प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः-

(I) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम'' - 214.61 लाख रु. का अधिक व्यय (1571.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (6037.56 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 292.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (7359.55 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure – Construction of Food Storage godowns in NE region by State Govt." – excess of Rs.200.00 lakhs (against nil provision) was due to additional demand from North Eastern States for construction of godowns.

(II) Major Head "3456" - "Other Expenditure – Scheme relating to Strengthening Public Distribution System" - excess of Rs.214.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1571.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.6037.56 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.292.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 16 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.7359.55 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4408'' खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	3535.00	2915.50	2912.04	–3.46
पु.	R.	–619.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	925.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–925.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	33160.00			
पू.	S.	292.00	27636.95	28962.40	+1325.45
पु.	R.	–5815.05			

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) 1217.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो शीर्षां के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" - 925.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्कीम, 2007" - 292.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान बैंकों द्वारा ब्याज आर्थिक सहायता से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्रा सहित दावों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण था।

(I) Provision of Rs.1217.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Storage & warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - Rs.925.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(B) Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Scheme for extending Financial Assistance to Sugar Undertaking, 2007" - supplementary provision of Rs.292.00 lakhs - due to non-submission of claims with utilisation certificate towards interest subvention by bank.

(II) Under Major Head "4408" - savings occurred under the following heads:-

(II) मुख्य शीर्ष ''4408'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''खाद्य - अन्य व्यय - राष्ट्रीय चीनी संस्थान'' - 107.96 लाख रु. की बचत (120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलंब होने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''भंडारण और भाड़ागार - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम'' - 762.00 लाख रु. की बचत (3415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खाद्य निगम के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''6860'' - ''चीनी - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें'' - 1993.80 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल या इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने'' - 2163.80 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम/अधूरे आवेदनों के प्राप्त होने, करार का निष्पादन न किए जाने और बैंक गारंटियां/प्रतिभूतियां समय पर प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4408'' - ''भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 247.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Food - Other Expenditure - National Sugar Institute" - saving of Rs.107.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.120.00 lakhs) was due to non-execution of work by Central Public Works Department owing to delay in receipt of administrative approval.

(B) "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - saving of Rs.762.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3415.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with Food Corporation of India.

(III) Under Major Head "6860" - "Sugar – Loans to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Sugar Mills for Cane Development" - saving of Rs.1993.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs); and

(B) "Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" - saving of Rs.2163.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less/incomplete applications, non-execution of agreement and non-submission of bank guarantees/securities in time.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408- Storage and Warehousing – Other Expenditure- Construction of food storage godown in North Eastern Region by FCI" - excess of Rs.247.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.